

कार्यालय कलेक्टर जिला-मुरैना मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व
विभाग

प्र.क्र. 37/अ-82/भू-अर्जन/2016-17 5284 मुरैना, दिनांक : 7/7/2017
07.07.17.

प्रारम्भिक अधिसूचना

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम खिरका, तहसील व उपखण्ड सबलगढ़, जिला-मुरैना में कुल रकवा 0.432 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम 4 के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला-मुरैना तहसील-सबलगढ़ के ग्राम-खिरका प.ह.नं 06, रा.नि. वृत्त-01 में उक्त परियोजना के लिये 0.432 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
01	99	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.064	लटूर पुत्र कल्ला, मु. भन्ती बेबा कल्ला, समान भाग 2/3, जावित्री बेबा रामस्वरूप सेवक पुत्र रामस्वरूप नारायणी, रेशा भूरो मनीशा पुत्रियान रामस्वरूप समानभाग 1/3 जाति जाटव
02	102	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.035	जीगन, परिमाल, शिवचरन पुत्रगण छोटे मु. नैनो बेबा छोटे स.भाग 1/2 सामन्त गिरवर पुत्रगण सुखुआ रूमाली ल्होरी पुत्रियान सुखुआ जाति जाटव निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूदान कृषक
03	225	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.003	जीगन परिमाल, शिवचरन पुत्रगण छोटे मु. नैनो बेबा छोटे स.भाग 1/2 सामन्त गिरवर पुत्रगण सुखुआ, रूमाली, ल्होरी पुत्रियान सुखुआ जाति जाटव स.भाग 1/2 भूदान कृषक
04	222	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.041	लटूर पुत्र कल्ला मु. भन्ती बेबा कल्ला समान भाग 2/3 जावित्री बेबा

